पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–26/2014–1320/आ०प्र० दिनांक 11.04.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–101 आनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष–0005–आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान विपत्र कोड–एन० 2245021010005 मद् में 5,00,000.00 (पाँच लाख) तथा उप शीर्ष–0007–आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान विपत्र कोड–एन० 2245021010007 मद् में 4,00,000.00 (चार लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2014–15 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या – 39) विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा)

(राशि–रूपये में)

अंचल	उपावंटित राशि			
	101-0005	**101-0006**	**101-0007**	**योग**
मनेर	56000	0	75600	131600
पटना सदर	200000	0	270000	470000
दानापुर	40000	0	54000	94000
कुल उपावंटित राशि	**296000**	**0**	**399600**	**695600**
जिला में अवशेष	***204000***	***0***	***400***	**204400**
कुल राशि	**500000**	**0**	**400000**	**900000**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप–मुख्यशीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0005–आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान एवं उप शीर्ष–0007–आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
3. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप

शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

5. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2015 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खातें में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-02/2014-15 444 /आ०प्र०, दिनांक 05/05/2014

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, मनेर, पटना सदर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर एवं पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।